न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 74 / 2013

उनवान

1. भगवान,
2. रामजीलाल,
3. ग्यारसी,
4. लाली,
5. छोटी पि. राधाकिशन जाति अहीर नि. ग्राम रामपुरा, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरिये अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. सूरजकरण पुत्र भूला,
2. बरदीलाल पि. रामपाल जाति अहीर नि. ग्राम रामपुरा नसीराबाद,
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

—— प्रतिवादीगण :– 1 जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली
2 जरियें अधिवक्ता नितेश यादव
3 जरिये तहसीलदार नसीराबाद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 अ रा0 का0 अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 29/5/24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मण्डियानी में वादीगण के पिता की पुश्तैनी खातेदारी स्थित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

चौसाला जमाबंदी		वर्किंग जमाबंदी		हाल जमाबंदी	
खसरा नम्बर	रकबा	खसरा नम्बर	रकबा	खसरा नम्बर	रकबा
776	07–12–0	1170	1–12–0	151	0.26
		1171	2–18–0	149	0.47
		1172	1–7–0	150	0.22
		1174	1–7–0	150 / 1660	0.18
		1175	0–18–0	162	0.15

उपरोक्त आराजी वादीगण के पिता की पुश्तैनी है जो चौसाला जमाबंदी में राधाकिशन पुत्र छीतर के नाम खातेदारी दर्ज थी। उक्त [illegible] खसरा नम्बर 1170 व 1174 तथा उनके हाल खसरा नम्बर 151 व [illegible]/16[illegible] बिना सक्षम न्यायालय के आदेश [illegible] उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज [illegible] प्रतिवादीगण [illegible] खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण [illegible] दखलदांजी कर रहे है। अतः वादग्रस्त [illegible] जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पा[illegible] किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:24:46 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने पर जवाब बंद किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख अनुसार दर्ज समस्त खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा वादी की पुश्तैनी है ?

–– वादी

2. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी दुरूस्ती का अधिकारी है ?

–– वादी

3. आया वाद अपूर्ण पक्षकार होने से खारिज योग्य है ?

–– प्रतिवादी

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किये। वादी व अधिवक्ता प्रतिवादी को अवसर देने के दपरान्त भी साक्ष्य पेश नही करने पर साक्ष्य बंद की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैराकार की बहस पर मनन किया गया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2019–23 में चौसाला खसरा नम्बर 776 रकबा 7–12–0 राधाकिशन पुत्र छीतर के नाम दर्ज था। वादीगण राधाकिशन के वारिस है। चौसाला खसरा नम्बर के वंर्किग खसरा नम्बर 1170, 1171, 1172, 1174, 1175 व हाल खसरा नम्बर 151, 149, 150, 150/1660 व 162 बने है। वंर्किग खसरा नम्बर 1170 व 1174 तथा उनके हाल खसरा नम्बर 151 व 150/1660 वादीगण के नाम नही है अन्य वंर्किग व हाल खसरा नम्बर वादीगण के नाम ही है। जबकि चौसाला खसरा नम्बर 776 का पूर्ण रकबा 7–12–0 वादीगण के नाम दर्ज होना था। प्रतिवादीगण ने वाद का कोई खण्डन नही किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से वाद के कथनों की ताईद होती है। वादग्रस्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी सिद्व हाती है। तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 व 3 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार आराजी मुतनाजा वादीगण की पुश्तैनी सिद्व होती है। हाल खसरा नम्बर 151 रकबा 0.26 व 150/1660 रकबा 0.18 वादीगण के नाम दर्ज नही है। जबकि अन्य हाल खसरा नम्बर के अनुसार व चौसाला खसरा नम्बर के अनुसार उक्त आराजी भी वादीगण/पिता के नाम दर्ज होनी थी। प्रतिवादीगण की तरफ से वाद का खण्डन ही किया है। हाल खसरा नम्बर 151 व 150/1660 श्रीनारायण, सूरजकरण पि0 भूला बरदीलाल मुत0 रामपाल व सुन्दर पत्नी लक्ष्मीनारायण के नाम खातेदारी दर्ज है। जबकि वाद में सूरजकरण पुत्र भूला व बरदीलाल पि. रामपाल को [illegible] बनाया गया है। अन्य खातेदार को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। राज0 पैरोकार ने आ[illegible] अपूर्ण पक्षकार की आपत्ति भी पेश की थी। वादीगण ने वा[illegible] भी पक्षकार नही बनाया है। अतः वादी समस्त खातेदार के स्थान पर प्रतिवादी [illegible] हिस्से पर ही इन्द्राज दुरूस्ती का अधिकारी है। तनकी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

––3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:24:46 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार ग्राम मण्डियानी के हाल खसरा नम्बर 150/1660 रकबा 0.18 व 151 रकबा 0.26 की आराजी पर वादीगण का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:24:46 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

भगवान बनाम सुरजकरण

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 74/2013
पेश करने की दिनांक – 06.05.13

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई अभिभाषक नितेश यादव, हीरालाल माली, राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम मण्डियानी के हाल खसरा नम्बर 150/1660 रकबा 0.18 व 151 रकबा 0.26 की आराजी पर वादीगण का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 5 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:24:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद